झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:- पाकुड़ नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ **9518.21 लाख** (पंचानवे करोड़ अट्ठारह लाख इक्कीस हजार) एवं राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ **3940.00 लाख** (उनचालीस करोड़ चालीस लाख) मात्र उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

---

74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित **स्वच्छ भारत मिशन** के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है । इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये वर्ष 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है |

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी ठोस अपशिष्ट के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है ।

3345
21/06/16

4. TPS प्रक्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ नगर परिषद् में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है । यह योजना लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार की गयी है तथा इस योजना का 20 वर्षों के परिचालन एवं अनुरक्षण (operation and maintenance) सहित कुल अनुमानित लागत राशि ₹ 9518.21 लाख है जिसकी विस्तृत विवरण तालिका - 1 में दी गयी है । CAPEX मद में कुल व्यय ₹ 1064.11 लाख है एवं 20 वर्षों के परिचालन एवं अनुरक्षण का कुल व्यय ₹ 8281.77 लाख है । अन्य मद में कुल व्यय ₹ 172.33 लाख है ।

तालिका – 1

Pakur Solid Waste Management - Fund Flow		
S. No.	**Particular**	**Details**
1	**Total Project Cost (1.1 + 1.2 + 1.3)**	**9518.21**
1.1	**Capital Cost (CAPEX)**	1064.11
1.2	**O & M Cost for 20 Yrs.**	8281.77
1.3	**Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3 +1.3.4)**	**172.33**
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	15.96
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	15.96
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	106.41
1.3.4	Cost of land for approach road	34.00
2	**Revenue Genaration (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**4391.82**
2.1	by User Charges in O&M	2833.55
2.2	by Sale of Compost in O&M	999.68
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	494.05
2.4	by Scrap Sale in O&M	64.54
3	**Fund Available & Central Assistance - (= 3.1+3.2+3.3+3.4)**	**867.16**
3.1	Fund Available with ULB	500.00
3.2	Central Share for DPR preparation @ ₹ 12 per capita	5.50
3.3	Central Share in CAPEX @ 20% of 1.1 (1.1 x 0.2)	212.82
3.4	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (3 Yrs.)	148.84
4	**Fund from Other Sources -**	**319.23**
4.1	Investment by private partner in CAPEX @ 30%	319.23
5	**Total Grant Required from State -**	**3940.00**
5.1	In CAPEX	32.05
5.2	In O&M in 20 years	3741.11
5.3	In Other	166.83

3345
21/06/16

5. इस योजना हेतु राज्य योजना मद से कुल अनुदानित राशि ₹ **3940.00** लाख है ।
6. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी गई है ।
7. निकाय के पास 9.54 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है ।
8. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात ₹ **319.23** लाख का व्यय किया जायेगा ।
9. केन्द्रांश की कुल राशि ₹ 367.16 लाख SBM योजना के तहत देय है (SWM योजना का CAPEX मद में @ 20%, DPR बनाने हेतु @ ₹ 12.0 प्रति व्यक्ति एवं O&M मद में Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 20%) ।
10. योजना का वित्त पोषण सुसंगत मद से किया जायेगा ।

तालिका - 2

S. No.	Particulars	Amount in ₹ Lakhs
1.0.	Total Project Cost	9518.21
2.0.	Total Central Government Share	367.16
2.1	Central Government Share (CAPEX)	212.82
2.2	Central Government Share (in OPEX & Other)	154.34
3.0.	Fund from PP partner	319.23
4.0.	Total State Government Share (1.0 - 2.0 - 3.0)	3940.00
41.	State Government Share in CAPEX	32.05
4.2.	State Government Share in OPEX (20 yrs.)	3741.11
4.3	State Government Share in others	166.83

3345
21/06/16

11. राज्यांश, राज्य योजना मद से कुल राशि ₹ 3940.00 लाख दिया जाना है ।
12. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किये जाने का प्रस्ताव

है ।

13. इस योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग - अलग निविदाओं द्वारा पूर्ण की जाएगी :

a) प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and transfer हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों एवं वाहनों का क्रय अलग से किया जायेगा । इस निविदा की निविदा राशि कुल ₹ 170.20 लाख होगी ।

b) दूसरी निविदा के तहत PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है जिसके तहत processing plant तथा landfile site का निर्माण मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा । निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) basis पर आमंत्रित किया जायेगा ।

14. पाकुड़ नगर परिषद् में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना जिसकी कुल लागत ₹ **9518.21 लाख** एवं राज्य योजना मद से कुल राशि **₹ 3940.00 लाख** मात्र निकाय को 20 वर्षों में उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक - 14.06.2016 में मद संख्या - 08 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21.6.16

अरुण कुमार सिंह

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2/न०वि०/यो०/ठो०अ०प्र०/119/08.....3345.....रांची, दिनांक-...21.06.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को संलेख की 35 अतरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में सम्मिलित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

21.6.16

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 2/न०वि०/यो०/ठो०अ०प्र०/119/08.....3345.....रांची, दिनांक-...21.06.16

प्रतिलिपि-- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ PD (Technical), JUIDCO/ संबंधित आयुक्त/ उपायुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी, पाकुड़ नगर परिषद् / बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची ।

21.6.16

सरकार के प्रधान सचिव ।